न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-237RAABarmer2025-122RTA223 Tararam ors Vs Chhogaram etc

1. ताराराम पुत्र शोभाराम
2. हनुमानराम पुत्र शोभाराम के कायम मुकामः–
   2.1. दीपाबेन पुत्री हनुमानराम
   2.2. कृष्णकुमार पुत्र हनुमानराम
   2.3. गणेश कुमार पुत्र हनुमानराम
   2.4. तिजोदेवी पत्नी हनुमानराम
3. चुनाराम पुत्र शोभाराम
4. मांगाराम पुत्र शोभाराम
5. नवलाराम पुत्र शोभाराम
6. समदा पत्नी शोभाराम
7. रेखाराम पुत्र रावताराम
8. रिड़मलराम पुत्र रावताराम
9. चम्पा पत्नी रावताराम (फौत)
10. उमेदाराम पुत्र चिमनाराम
11. चुनाराम पुत्र चिमनाराम
12. नगाराम पुत्र चिमनाराम
13. चम्पालाल पुत्र चिमनाराम
14. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम
15. हेमी पत्नी चिमनाराम
16. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम
17. सोहन पुत्र कुम्भाराम
18. माड़ू पत्नी कुम्भाराम
19. रासिया उर्फ रासूराम पुत्र गोरखाराम

सभी जाति सुथार निवासी विनायक नगर, उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. छोगाराम पुत्र जेताराम
2. कासूराम पुत्र जेताराम
3. केसाराम पुत्र उमेदाराम
4. पोकराराम पुत्र उमेदाराम
5. पूराराम पुत्र उमेदाराम
6. जालाराम पुत्र उमेदाराम
7. भंवराराम पुत्र उमेदाराम
8. बांकाराम पुत्र उमेदाराम

जाति सुथार निवासी विनायक नगर उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

9. हनुमानराम पुत्र चनणाराम
10. लक्ष्मीदेवी पत्नी चनणाराम
11. वागाराम पुत्र खेमाराम
12. भींयाराम पुत्र खेमाराम
13. मांगीलाल पुत्र भूराराम
14. मोहनराम पुत्र भूराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

15.भंवरी पत्नी भूराराम
जाति सुथार निवासी विनायक नगर पटवार मण्डल उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
16.तहसीलदार धोरीमन जिला बाड़मेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2025 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 82/2016 छोगाराम व अन्य बनाम ताराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री देवाराम, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से चार

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 82/2016 अनवान छोगाराम व अन्य बनाम ताराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 जून 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात मौजा विनायक नगर पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 279 रकबा 59.18 बीघा, खसरा संख्या 279/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 331 रकबा 152.10 बीघा, खसरा संख्या 331/2 रकबा 29.05 बीघा कुल रकबा 241.18 बीघा के संबंध में वाद प्रस्तुत कर विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार धोरीमन्ना से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.12.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। अपीलांट्स की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रेस्पो./वादीगण द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियॉ स्वीकार करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये, जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 12/13.04.2025 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मई 2025 को उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में उत्तरदाता संख्या 01 से 08/वादीगण मूल खातेदार न होकर भूमि के क्रयसुदा खातेदार हैं। खरीद के समय ग्राम भालीखाल के खसरा संख्या 279 रकबा 63.03, व खसरा संख्या 331 रकबा 181.15 बीघा भूमि थी। बेचाननामा के पैरा संख्या 04 व 05 के अनुसार खसरा संख्या 279 में रकबा 15.15 बीघा व खसरा संख्या 331 में रकबा 45.09 बीघा भूमि क्रय की थी, जिसमें रकबा 3.00 बीघा भूमि स्कूल के लिए समर्पण होने से वर्तमान में राजस्व रेकर्ड पटवार मण्डल उड़ासर के राजस्व ग्राम विनायक़ नगर के खसरा संख्या 279, 279/2 रकबा क्रमशः 59.18 व 0.05 बीघा कुल रकबा 60.03 बीघा तथा खसरा संख्या 331, 331/2 रकबा क्रमशः 152.10, 29.05 बीघा कुल रकबा 181.15 बीघा है। खरीद सुदा भूमि में उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) का वर्तमान में राजस्व रेकर्ड व प्राथमिक डिक्री में 1/4 हिस्सा हैं। हिस्सा व बेचान दस्तावेज अनुसार मूल खसरा संख्या 279 रकबा 60.03 बीघा में वादीगण को 1/4 हिस्सा यानि रकबा 15.00 बीघा व मूल खसरा संख्या 331 रकबा 181.15 बीघा मे वादीगण को 1/4 हिस्सा यानि रकबा 45.08 बीघा भूमि बंट में आती है। वादीगण का दोनों मूल खसरों में कब्जा बेचान से लगातार आज दिन तक चला आ रहा है। बेचान दस्तावेज को आधार मानते हुए अंतिम बंटवारा निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किया जाना चाहिये था, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विशेष रूचि लेकर यह निर्णय नियमो के विरूद्ध पारित किया है। मूल खसरा संख्या 279 में वादीगण को ए भाग में तीन भाग रकबा 1. रकबा 0.1861 हैक्टेयर(रकबा 1.03 बीघा) 2. रकबा 0.3642 हैक्टेयर (रकबा 2.05 बीघा) 3. रकबा 0.0162 हैक्टेयर (रकबा 0.02 बीघा) मूल खसरा संख्या 279 मे कुल क्षेत्रफल 0.5665 हेक्टेयर रकबा 3.10 बीघा दी गई है। खसरा संख्या 279 रकबा बीघा में उतरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को 1/4 हिस्सा यानि रकबा 15.00 बीघा बंट में देनी थी जो नहीं दी गई हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खरीद सुदा भूमि होने से उनका प्रत्येक खसरे में रकबा कम नहीं किया जा सकता है। मूल खसरा संख्या 279 में रकबा 11.10 बीघा कम देकर 100 फिट मुख्य सड़क वाली भूमि में रकबा ज्यादा देने से उतरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को फायदा पहुँचाने के लिए दिया गया है। मूल खसरा संख्या 331 में उतरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को ए भाग में दो भाग 1. रकबा 3.7719 हैक्टेयर (रकबा 23.06 बीघा) 2. रकबा 5.4147 हैक्टेयर (रकबा 33.09 बीघा) मूल खसरा संख्या 331 में कुल क्षेत्रफल 9.1866 हेक्टेयर रकबा 56.15 बीघा दी गई है। मूल खसरा संख्या 331 रकबा 181.15 बीघा में उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को 1/4 हिस्सा यानि रकबा 45.08 बीघा भूमि को बंट में देनी थी, लेकिन नहीं दी गई हैं। खसरा खरीद सुदा होने से वादीगण का रकबा ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। रकबा 11–07 बीघा मूल खसरा संख्या 331 में ज्यादा 100 फुट की मुख्य सड़क पर रकबा रखना उत्तरदाता संख्या 01 से 08 को फायदा पहुँचाने के लिए दिया गया है आलौच्य आदेश में भारी भूल की है। विभाजन प्रस्ताव के भाग एफ अनुसार रास्ते के रूप में भूमि संयुक्त रूप से रखी गई हैं, जिसमें रकबा 0.2104 हैक्टेयर यानि रकबा 1.06 बीघा रास्ते के रूप में प्रयुक्त किया हैं, जिसमें उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) का 1/4 हिस्सा यानि रकबा 0.06 बीघा प्रयुक्त हुई हैं व कुल रकबा उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) के बंट में रकबा 9.7531 हैक्यर यानि रकबा 60.05 बीघा प्रस्तावित किया हैं। दोनो रकबों 0–06 व 60–05 बीघा को जोड़ने पर कुल रकबा 60–11 बीघा बनता है, जबकि उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) के हिस्से में रकबा 60.08 बीघा भूमि ही देनी थी। तहसीलदार धोरीमना द्वारा राजस्व रेकर्ड से भिन्न रकबा 0.03 बीघा भूमि वादीगण को ज्यादा दी हैं जो गलत, विधि विरुद्ध है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.12.2022 पर बहस के उपरान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देशों सहित पुनः रिपोर्ट चाही गई थी जो दिनांक 20.06. 2024 को तहसीलदार धोरीमना द्वारा तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट पर उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) द्वारा आपत्ति पेश कर पुनः रिपोर्ट तैयार करने का आदेश करने पर दिनांक 12/13.04. 2025 को तहसीलदार धोरीमना रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई जो प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 की तरह हुबहु हैं तथा मुख्य सड़क पर समान बंटवारा नहीं है। आलौच्य निर्णय की रिपोर्ट दिनांक 12/13.04.2025 के सी भाग में अमेदाराम के खेत में दक्षिण पूर्व व डी भाग में रासूराम के पश्चिम दक्षिण भाग में कुल सात मोड़ डाल दिये, जिसमें अपीलान्टगण उम्मेदाराम वगैरह की ढाणी टांका, मकान सभी प्रभावित हो रहे है। रिपोर्ट डी, बी भाग में खसरा संख्या 279 में रासूराम वगैरह व हनुमानराम वगैरह के खेत को दो भागों में विभक्त कर दिया जो गलत व असुविधा जनक है, जिदंगी भर का दुख कर दिया, बाद में भाई बंटवारा में खसरा अधिक भागो में विभाजित होगा। सेन्टलमेन्ट के पश्चात् खसरा संख्या 279 में रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 331 में रकबा 14.05 बीघा कुल रकबा 14.15 बीघा भूमि 100 फुट चौड़ाई की मुख्य सड़क हेतु कटाण हुई ळे, जिसमें अपीलान्टगण (प्रतिवादीगण) की संयुक्त रूप से अपनी खातेदारी में से 3/4 हिस्सा कम हुई है, जबकि मुख्य सड़क पर 3/4 हिस्सा का फायदा उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को दे दिया गया हैं। तहसीलदार धोरीमना व अन्य राजस्व कार्मिकों द्वारा उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) की सांठगांठ कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। संलग्न नक्शा ए भाग अनुसार उत्तरदाता संख्या 01 से 08 (वादीगण) को सड़क पर दोनो तरफ 3/4 हिस्सा दे दिया गया। धोरा पर अपीलान्टगण भाग नहीं किया गया, धोरा भाग का सम्पूर्ण (प्रतिवादीगण) को दे दिया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी की लगान 11.75 रूपये है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 01 स 08 (वादीगण) का 1/4 हिस्सा अर्थात् 2.94 बंट बनती है, जबकि डिक्री में उत्तरदाता संख्या 01 से 08 को लगान 2. 53 रूपये व 0.02 रूपये कुल लगान 2.55 रूपये देकर 0.39 रूपये का अविधिक फायदा पहुँचाया गया हैं। निर्णय में लगान का बंटवारा अंकित नहीं किया हैं, जबकि विधि अनुसार लगान का बंटवारे का प्रावधान हैं। यह उल्लेखनीय है कि वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 09 फौत हो चुकी थी। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किय गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 82/2016 अनवान छोगाराम व अन्य बनाम ताराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार से उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किये जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार धोरीमन्ना से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स सहित सभी पक्षकारान को नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी

जारी किये गये थे। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके रास्ते का प्रावधान रखते हुए तथा सड़क पर सभी को समान अनुपात में भूमि प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में कुल तीन बार विभाजन प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावों के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में कुल तीन बार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। तहसीलदार धोरीमन्ना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.12.2022 पर अपीलांट्स की ओर से आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार धोरीमन्ना से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिस पर वादीगण आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पुनः विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 12/13.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में दिनांक 08.04.2025 को पक्षकारान् को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए दिनांक 12/13.04.2025 को मौके पर पक्षकारान् की जोत तक आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में उभय पक्ष को विभाजन प्रस्तावों पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा उक्त आपत्तियो का विधिनसार निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मूल वाद संख्या 82/2016 अनवान छोगाराम व अन्य बनाम ताराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर